न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास जिला भरतपुर

दावास0 137/10

1–वृजेन्द्रसिह पुत्र श्री स्व रामप्रसाद जाति ठाकुरा निवासी दौरदा तहसील रूपवास जिला भरतपुर

वादी

बनाम

1– महेन्द्रसिह आयु 75 साल पुत्र रामप्रसाद जाति ठाकुर निवासी दौरदा तहसील रूपवास

2–हाकिमसिह पुत्र रामप्रसाद मृतक

2/1– मुन्नी देवी पत्नि हाकिमसिह

2/2–रामपाल |

2/3–श्यामपाल |

2/4–विजयपाल |पिसरान हाकिम सिह जाति ठाकुर निवासी बरबार

2/5–प्रेमपाल | तहसील रूपवास जिला भरतपुर

2/6–गंगासिह |

प्रतिवादीगण

पीठासीन अधिकारी :– श्री पी.आर0मीना0 आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी रूपवास

उपस्थित

1–श्री सन्तोष बंसल अभिभाषक वादी

2– श्री जयप्रकाश शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

दिनांक 2/4/16

निर्णय

सक्षेपतः दावे के तथ्य निम्न प्रकार है। वादी ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा,188,88,89 आरटीए के तहत वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित आराजी खसरा न0 35/2–03, 36/1–09, 37/1–14, 38/1–15, 39/2–04, 404/5–10, 405/5–10, 516/1–19,517/1–11, कुल किता 9 कुल रकवा 22–15 बीघा बाके ग्राम दौरदा तहसील रूपवास में स्थित है। जिसमें वादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है। उक्त विवादिन आराजी एक हिन्दु अविभाजित परिवार की आये से अर्जित सम्पतित है तथा वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। जिनका सजरा निम्न प्रकार है। रामप्रसाद के पुत्र नवावसिह,छत्तरसिह, महेन्द्रसिह, वृजेन्द्रसिह , हाकिमसिह वादी के पिता रामप्रसाद के अपने जीवनकाल में दो शादीयॉ की थी जिसमें एक पत्नि के दो पुत्र नवावसिह व छत्तरसिह तथा दूसरी पत्नि के तीन पुत्र महेन्द्रसिह , वृजेन्द्रसिह व हाकिमसिह पैदा हुये थे रामप्रसाद ने अपने जीवनकाल में समस्त जायदाद का विभाजन आज से 65 साल पूर्व कर दिया था उसने अपना सम्पूर्ण जीवन अपने तीनो पुत्र महेन्द्रसिह वृजेन्द्रसिह हाकिमसिह के साथ रहा था तभी से वादी व प्रतिवादीगण एक सयुक्त रूप से एक हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

अविभाजित परिवार की तरह रहते चले आ रहे है रामप्रसाद ने अपने जीवनकाल में विवादित आराजी वादी व प्रतिवादीगण के सामिल सरीक रहते हुये एक हिन्दू अविभाजित परिवार की आये से अर्जित की थीजो कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त रूप से स्वामित्व व आधिपथ्य की आराजी थी चूकि उन दिनों वादी भारतीय सेना में कार्यरत था तथा प्रतिवादी स0 1 चतुर एव चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसने इस स्थिति का फायदा उठाया तथा राजस्व कर्मचारियो से मिलकर विवादित आराजी राजस्व इन्द्राज अपने व हाकिमसिह के नाम करवालिया वादी को पता चला तो उसने अपने पिता व प्रतिवादीगण से इ स बावत कहा तो इन लोगो ने कहा कि आपका 1/3 हिस्सा आपके नाम करवादेगे इस तरह वादी को सन्तुष्ट कर दिया था । वादी के पिता की मृत्यू आज से करीब 40साल पूर्व हो गई तथा तब भी वादी ने अपने भाईयो से अपने हिस्से की आराजी को उसके नाम करवाने को कहा था तो प्रतिवादी स0 1 ने कहा अभी हम संयुक्त रूप से एक परिवार की तरह रह रहे है जब हम तीनो भाइ अलग अलग होगें तभी आपके हिस्से की आराजी तुम्हारे नाम करवा देगें । विवादित आराजी को सयुक्त रूप से काश्त करीब 30 तक लगातर करते चले आ रहे है। लेकिन आज से करीब 10 साल पूर्व वादी व प्रतिवादीगणके मध्य पारवारिक विभाजन हुआ तब विवादित आराजी में से वादी को आराजी खसरा न0 404 मे से 2 बीघा व 405का समस्त रकवा वादी के हिस्से में आई थी तब भी वादी ने विवादित आराजी में 1/3 हिस्से कौ उनके नाम करवाने वावत प्रतिवादीगण से कहातो प्रतिवादीगण ने टालमटौल कर दिया कहा कि भविष्य में करवादेगें । जबकि वादी अपने हिस्से की आराजी विवादित में काबिज है और वर्तमान में भी काश्त करता चला आ रहा है। किन्तु उक्त विवादित आराजी का राजस्व इन्द्राज प्रतिवादीगण के नाम हे जो गलत है। क्योकि अपने हिस्से 1/3 को प्राप्त करने का हकदार है ।तथा राजस्व रिकार्ड में भी हो रहे मौके के विपरीत हैं तथा कानून के विपरीत है। जबकि वादी अपने अधिकारों की घौषणा अदालत से करा पाने का अधिकारी हैं । दिनांक 31.8.10 को वादी विवादित आराजी को देखने गया था जहॉ पर उसे प्रतिवादीगण उपस्थित मिले जिन्होने स्पष्ट शब्दो में कहा कि विवादित आराजी का राजस्व इन्द्राज हमारे नाम है इसलिये हमउ क्त आराजी पर तुमको काश्त नहीं करने देगें और तुमको जबरन बेदखल कर देगें । यदि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त उददेश्य में सफल हो गये तो वादी को अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी भरपाई पैसो से नही की जा सकती है। जिसके लिये वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द करा पाने का अधिकारी हैं ।

दिनांक 30.8.10 को दिये जाने धमकी के कारण वाद करण पैदा हुआ । अतः दावा वादी विरू प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे – यह घौषित किया जावे कि वादी विवादित आराजी जो कि वादपत्र की मद स0 1 में वर्णित है में 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय से पावन्द फरमाया जावे किवह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की रूकावट पैदा न करें शान्तीपूर्वक काश्त करने देवे तथा वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की वाधा उत्पन्न नहीं करें ।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादी स01 इतला के वावजूद भी उपस्थित नहीं अतः इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही पारित की गई । प्रतिवादीस0 2/1 लगायत 2/6 ने उपस्थित होकर जबाब दावा प्रस्तुत कर

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

निवेदन किया है कि जबाब दावा की मद स01 जिस प्रकार से वर्णित की गई वह स्वीकार नहीं है मद स0 2 में विवादित आराजी बाके ग्राम दौरदा में होना स्वीकार है अन्य तथ्य स्वीकार नही है। मद स0 3, 4,5,6,7,8 जिस प्रकार से वर्णित की गई है वह स्वीकार नही है। अपने विशेष विवरण में निवेदन किया है कि विवादित आराजी में वादी का कोई सम्बन्ध व किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। और नही कभी भी वादी ने इस आराजी पर काश्त की हो और नाही कभी कब्जा रहा हैं उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी स0 1 व 2 का ही कब्जा काश्त हे और नाही वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजो के द्वारा छोडी हुई आराजी है। उक्त विवादित आराजी प्रतिवादीगण की न्यारानूर आराजी है। जो कि टीनेन्सी एक्ट लागू होने के समय सम्वत 2012 में प्रतिवादीगण के नाम ही रही है। तभी से प्रतिवावदीगण उक्त विवादित आराजी पर काश्त करते चले आ रहे हे आज भी मौके पर प्रतिवादीगण की कब्जाा काश्त है। प्रतिवादीगण ने मात्र परेशान करने की नीयत से दावा प्रस्तुत किया है जो कि गलत है। अतः दावा खारजि फरमाया जावे ।

दावा जबाब दावा प्रस्तुत होने के उपरान्त निम्नाकित तनकीयात कायम की गई

तनकी न01– आया वाद पत्रकी खण्ड स0 1 व 2 में वर्णित आराजी पूर्वजों की छोड़ी हुई आराजी है जिसमें वादी 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार एवं काबिज आराजी है। – वादी

तनकी स0 2– आया वादी दिनांक 31.8.10 को विवादित आराजी को देखने गया जहॉ मौके पर प्रतिवादीगण मिले और धमकी दी कि उक्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में हमारे नाम है तुमको उक्त आराजी पर काश्त नही करने देने की धमकी दी । वादी

तनकी स0 3– आया वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का अधिकारी है। – वादी

तनकी स04– आया जबाब द ावा की खण्ड स0 11 के अनुसार वादी का कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रतिवादीगण

तनकी स0 5– आया जबाब दावा की मद स0 12 के अनुसार उक्त विवादित आराजी पर वादी का पिता रामप्रसाद खातेदार काश्तकार कभी भी नहीं रहा है। – प्रतिवादीगण

तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है –

तनकी स01,2,3– इन तनकीयो को साबित करने का दायित्व वादी का है। वादी ने इन तनकियो को साबित करने हेतु योग्य अभिभाषक वादी ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुये तर्क दिया कि उक्त विवादित आराजी सयुक्त परिवार की अर्जित आय से अर्जित की गई है। वादी व प्रतिवादीगण सगे भाई है। और सभी सामिल काश्त करते चले आ रहे है। वादी भारतीय सेना में नौकरी करता था प्रतिवादी स01 एक चालाक किस्त का व्यक्ति था उसने मेरी बिना जानकारी के उक्त विवादित आराजी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम अकिंत करवा दिया जबकि उस समय हमारे पिताजी रामप्रसाद मौजूद थे मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो मेरे प्रतिवादीगण से कहा कि हम तुम्होरे हिस्से की आराजी को तुम्हारे नाम करवा देगें ।घर की बात है पहले तो हम आपस में बटवारा करले । उक्त बटवारे में खसरा न0 404 ,405 की आराजी मेरे हिस्से में आई थी तभी से वादी उक्त

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

उसके वाद वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि
आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। तब भी उन्होने कहा कि
उक्त आराजी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में मेरे नाम करवादो तो वहॉ
करवादेगें । दिनांक 31–8–10 को वादी अपने हिस्से की आराजी को देखने गया
पर प्रतिवादीगण मौजूद मिले और उन्होने कहा कि उक्त आराजी में राजस्व रिकार्ड हमारे
नाम हैं अब हम तुमको उक्त आराजी में काश्त नहीं करने देंगं । वादी अपने अधिकारो की
रक्षा हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करा पाने के अधिकारी है। एव राजस्व
रिकार्ड में हो रहे अकंन को निरस्त कर वादी को उक्त विवादित आराजी का 1/3 भाग का
खातेदार काश्तकार घौषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे ।
अतः इन तनकियो का निर्णय वादी के पक्ष में किया जावे ।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादीगण ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये तर्क दिया कि
उक्त विवादित आराजी सयुक्त परिवार की आय से अर्जित आराजी नही हैं और नाही उक्त
विवादित आराजी पर वादी का कभी कोई कब्जा काश्त रहा है। और ना ही उक्त विवादित
पूर्वजो की छोड़ी हुई आराजी है। टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय उक्त विवादित आराजी
प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में अकिंत की गई थी तभी से प्रतिवादीगण उक्त विवादित
आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने उक्त विवादित आराजी पर कभी कोइ काश्त
नहीं की है। और नाही उसका राजस्व रिकार्ड में नाम अकंन है।

वादी द्वारा दिनांक 31–8–10 को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दिये जाने वाली वात
गलत है। क्योकि उक्त विवादित आराजी पर कभी वादी का कब्जा काश्त ही नही है तो
धमकी देने का सवाल ही नही है।

वादी का उक्त विवादित आराजी पर न तो कभी कब्जा काश्त रहा है। और नाही
राजस्व रिकार्ड में अकंन है। तो वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने का
अधिकार नही रखता है।

पत्रावली में अकिंत दस्तावेजात का अवलोकन किया व योग्य अभिभाषकगणो की
बहस पर मनन किया । वादी इन तनकियो को साबित करने में असफल रहा है। अतः
इन तनकियो का निर्णय खिलाफ वादी किया जाता है।

तनकी स0 4,5 इन तनकियो को साबित करने का दायित्व प्रतिवादीगण का है।
प्रतिवादीगण ने इन तनकियो को साबित किया है।

योग्य अभिभाषक प्रतिवादीगण ने तर्क दिया कि वादी का उक्त विवादित आराजी पर
कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। और नाही उक्त विवादित आराजी में वादी के पिता
रामप्रसाद कभी खातेदार काश्तकार रहे हो । अतः इन तनकियो का निर्णय भी वादी के
खिलाफ किया जावे ।

योग्य अभिभाषक वादी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये तर्क दिया कि उक्त
विवादित आराजी पर वादी का 1/3 भाग पर कब्जा काश्त करीब 40साल पूर्व से चला आ
रहा है । और आज भी मौके पर वादी का ही कब्जा काश्त है। पूर्व में वादी के पिता
रामप्रसाद का भी कब्जा काश्त रहा हैं । अतः इन तनकियो का निर्णय वादी के पक्ष में किया
जावे ।

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवकलोकन किया व योग्य अभिभाषकगणो की बहस पर मनन किया । वादी ने ऐसा कोई रिकार्ड व तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित पर वादी के पिता रामप्रसाद का व स्वय काकब्जा काश्त हो । अतः इन तनकियों का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

समस्त तनकियो का निर्णय किया जा चुका है।

अतः आदेश है कि वादी अपने दावे को साबित करने में असफल रहा है। अतः दावा वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/4/18

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास

उपखण्ड अधिकारी
रूपवास (भरतपुर)